

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 86/2015

संस्थित दिनांक-20/02/2015

फाईलिंग नंबर-230303012962003

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र एण्डोरी, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

विरुद्ध

1. राजू पुत्र श्रीरामसिंह, उम्र 27 साल,  
निवासी ग्राम जिमलेदार का पुरा
2. बंटी पुत्र रमेशसिंह, उम्र 30 साल,  
निवासी टूडी थाना मालनपुर जिला भिण्ड.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक  
आरोपीगण द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता

**-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक 22/09/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 394/34 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं आरोप है कि उन्होंने दिनांक-17/01/2012 रात करीब 01:30 बजे रेलवे गेट के पास खनैता रोड थाना एण्डोरी जिला भिण्ड के क्षेत्रांतर्गत आपस में मिलकर लूट की घटना कारित करने के लिए सामान्य आशय निर्मित करते हुए उसके अग्रसरण में गेटमैन भीमसिंह एवं कुंदनसिंह को उपहति कारित करते हुए सोलर प्लेट मय बैटरी की उनके आधिपत्य से लूट कारित की ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि, घटना दिनांक को घटनास्थल मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था एवं यह भी स्वीकृत है कि कुंदनसिंह और भीमसिंह रेलवे विभाग में गेटमैन के रूप में कार्यरत थे ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक-17/01/2012 के रात करीब 1:30 बजे जब फरियादी भीमसिंह गेटमैन के रूप में खनैता रोड के रेलवे फाटक पर ड्यूटी कर रहा था जिसकी ड्यूटी शाम 8 बजे तक थी। उसके बाद कुंदनसिंह की ड्यूटी चल रही थी वे दोनों की गुमटी पर अपनी अपनी खाट पर लेटे थे। तब रात करीब डेढ़ बजे छीमका तरफ से एक मोटरसाइकिल अंधेरे में आकर रुकी और दो व्यक्ति उतरकर उनके पास आये जिनमें से एक ने उसकी नाक में मुक्का मारा जिससे खून बहने लगा, फिर दो और आ गये, फिर चारों ने उन दोनों को पकड़कर धक्का देते हुए खेत में ले गये। एक आदमी ने कटटा निकालकर खड़ा हो गया, शेष तीनों ने उनकी पिटाई की और गेट पर लगी सोलर प्लेट दो नग और 12 बोल्ट की दो बैटरियां कीमती करीब तीस हजार रुपये खोलकर निकालकर मोटरसाइकिल पर रखकर छीमका तरफ चले गये, जो चारों मुंह बांधे थे और 22-24 साल के नये लडके थे जिन्होंने कुंदन का मोबाइल भी ले लिया था।
4. उक्त घटना की गेटमैन भीमसिंह राठौर ने साथी गेटमैन कुंदनसिंह को साथ ले जाकर थाना एण्डोरी में चार अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध लूट व मारपीट की रिपोर्ट की, जिसपर से थाना में अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र.-01/12 धारा-392 भा0द0वि0 धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत कायम किया गया। विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध के विरुद्ध धारा 394/34 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
  - 1- क्या 17/01/2012 रात करीब 01:30 बजे रेलवे गेट के पास खनैता रोड थाना एण्डोरी जिला भिण्ड के क्षेत्रांतर्गत आपस में मिलकर लूट की घटना कारित करने के लिए सामान्य आशय निर्मित किया ?

- 2— क्या, आरोपीगण द्वारा उक्त, समय दिनांक व स्थान पर उक्त सामान आशय के अग्रसरण में गेटमैन भीमसिंह एवं कुंदनसिंह को उपहति कारित करते हुए सोलर प्लेट मय बैटरी की उनके आधिपत्य से लूट कारित की ?

**—::—निष्कर्ष के आधार ::—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक—01 व 02 का निराकरण**

7. उक्त दोनों विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
8. प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी फरियादी भीमसिंह अ.सा.—6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दि०—17/1/2012 को रेलवे में गेटमैन रहते हुए गेट क्र०—31 सी खनैता कोसिंग पर रात्रि में ड्यूटी पर तैनात होना बताते हुए कहा है कि उसके साथ कुंदन भी ड्यूटी पर था, वे दोनों अपनी अपनी चारपाई पर सो रहे थे तब पांच बदमाश मोटरसाइकिल से छीमका तरफ से रात करीब डेढ़ दो बजे आये थे और उनकी पकड़कर मारपीट की थी और सरसों के खेत की तरफ ले जाकर बांधकर डाल दिया था। एक बदमाश कटटा लेकर खड़ा हो गया था और धमकी दी कि अगर आवाज की तो जान से खत्म कर देगा । तीन बदमाश उनकी ड्यूटी स्थल से दो सूर्या प्लेट व बैटरी खोलकर ले गये थे और कुंदन का मोबाइल भी लूटकर ले गये थे, सभी मुंह बांधे हुए थे और 22 से 24 साल के होंगे । मारपीट में से चोटें आयी थी जिसका उपचार रेलवे अस्पताल झांसी में डेढ़ माह भर्ती रखकर हुआ था ।
9. अ.सा.—6 का यह भी कहना है कि उसने घटना की प्र.पी.—8 की एफ आई आर लेखबद्ध करायी थी । पुलिस ने घटनास्थल पर आकर प्र.पी.—9 का नक्शामौका उसकी निशादेही पर बनाया था । लेकिन उसके सामने पुलिस ने न तो आरोपी राजू उर्फ राजकुमार को पकड़ा था ना ही उसके घर पर लेकर गये थे । ना ही उसके सामने आरोपी राजू के मकान से 12 बोल्ट की कोई बैटरी जब्त की थी, ना ही आरोपी बंटी से कोई सामान जब्त हुआ था । बंटी के मकान से सोलर प्लेट बक्से में से जब्त होने से भी उसने इंकार किया है और विचाराधीन दोनों आरोपीगण के द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना किए जाने से उसने इंकार किया है । मौके से पुलिस द्वारा एक रिंच पाना जिसपर लाल रंग का प्लास्टिक का कवर चढ़ा था, प्र.पी.—5 का जब्ती पत्रक बनाकर जब्त करना अवश्य बताया है । ऐसा ही कुंदनसिंह अ.सा.—3 का ही अभिसाक्ष्य है । अर्थात् दोनों ही साक्षी विचाराधीन आरोपीगण के लूट की घटना में शामिल होने से इंकार कर रहे हैं किन्तु उन्होंने प्र.पी.—8 में बतायी लूट की घटना

उनके साथ घटित होने की पुष्टि अवश्य की है। प्र.पी.-8 की एफ आई आर, आर0एस0 भदौरिया अ.सा.-8 ने लिखित रिपोर्ट पर से लेखबद्ध करना प्र.पी.-9 का नक्शामौका उसके बताये अनुसार तैयार करना, घटनास्थल से एक रिंच पाना प्र.पी.-5 मुताबिक जब्त करना, भीमसिंह व कुंदन के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना बताया है। भीमसिंह और कुंदन के कथनों में आरोपीगण की पहचान का बिन्दु नहीं आया है। और उक्त विवेचक ने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लिखायी गयी थी। फरियादी ने लुटेरों का हुलिया नहीं बताया था।

10. इस तरह से अ.सा.-3 व अ.सा.-6 व अ.सा.-8 के अभिसाक्ष्य से प्र.पी.-8 की एफ आई आर की पुष्टि अवश्य होती है। जिससे यह ता प्रमाणित होता है कि दि.-17/1/12 को रात्रि के समय जब भीमसिंह व कुंदनसिंह जोकि रेलवे के गेटमैन थे और रेलवे कोसिंग खनैता नंबर-31 के रेलवे फाटक पर ड्यूटी करते हुए अपनी अपनी चारपाई पर सो रहे थे तब उनके साथ लूट की घटना हुई थी जिसमें दो सोलर प्लेट, दो बैटरियां व कुंदनसिंह का मोबाइल लूटा गया था। तथा उन्हें उपहतियां भी पहुंचायी गयी थीं। किन्तु उक्त घटना आरोपीगण द्वारा की गयी यह उनके अभिसाक्ष्य से कतई प्रमाणित नहीं होता है।

11. भीमसिंह व कुंदनसिंह के साथ लूट की घटना में उपहतियां कारित होने की पुष्टि डाक्टर आलोक शर्मा अ.सा.-1 की अभिसाक्ष्य से भी होती है, जिन्होंने अस्पताल गोहद में उक्त दोनों का चिकित्सीय अभिसाक्ष्य करना और उनकी प्र.पी.-3 व 4 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना बताया है जिसमें कुंदनसिंह को शरीर में तीन व भीमसिंह को पांच साधारण प्रकृति की चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से पहुंची थी जिन्हें उक्त चोटें पैरा-4 पर दुर्घटनात्मक स्वरूप की होना भी बताया है। किन्तु इतना निश्चित है कि दोनों आहतों को घटना दि0 को रात्रि के समय प्र.पी.-3 व 4 में बतायी उपहतियां पहुंची थीं। प्र.पी.-3 व 4 के मुताबिक रात्रि में ही उनके मेडीकल परीक्षण घटना घटित होने के 06 घण्टे के भीतर हुए थे ऐसे में उन्हें पहुंची उपहतियां लूट की घटना के दरम्यान पहुंचायी जाना अवश्य प्रमाणित होता है। किन्तु दोनों आरोपीगण के अभिसाक्ष्य विचाराधीन आरोपीगण के विरुद्ध लेस मात्र भी नहीं आये हैं और उन्हें अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत की गयी पूछताछ के आधार पर भी बरामदगी तथा बरामद वस्तुओं की शिनाख्ती फरियादीगण द्वारा किए जाने पर अभियोजित किया गया है। इसलिये इस संबंध में आयी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण आवश्यक हो जाता है क्योंकि दोनों आहत आरोपीगण से कोई भी बरामदगी पुलिस द्वारा उनके सामने किए जाने से स्पष्टतः इंकार कर रहे हैं।



12. शेष साक्षियों में केवल पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं इसलिये भी उनके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो जाता है। आरक्षक राकेश कुमार अ.सा.-01 के मुताबिक दि०-14/6/13 को उपनिरीक्षक प्रमोद चतुर्वेदी द्वारा आरोपी बंटी उर्फ जयसिंह को प्र.पी.-01 के गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ की थी जिसमें उसने अपने हिस्से में आयी सोलर प्लेट घर के भूसा में छिपाकर रखने व बरामद कराने की जानकारी प्र.पी.-2 मुताबिक दी थी, उस समय आरोपी पुलिस अभिरक्षा में था, दूसरा साक्षी आरक्षक फरीद खां अ.सा.-09 है, उसने भी इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया है। और दोनों साक्षियों ने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने दरोगाजी के कहने से हस्ताक्षर कर लिये और दरोगाजी ने प्र.पी.-2 अपने मन से बनाया था। प्र.पी.-2 की कार्यवाही करने वाले उपनिरीक्षक प्रमोद चतुर्वेदी का स्वर्गवास हो जाने से उसका परीक्षण नहीं हो सका है। प्र.पी.-2 की कार्यवाही थाने पर बतायी गयी है और आरोपी बंटी की गिरफ्तारी पश्चात की बतायी गयी है। दोनों पुलिस कर्मियों से जब्ती पत्रक की स्थिति और देखना होगी। क्योंकि घटनास्थल से बरामद रिंच पाना जो प्र.पी.-5 मुताबिक बताया गया इस बारे में कोई साक्ष्य संकलित नहीं है। और प्र.पी.-7 माल शिनाख्ती की कार्यवाही का जहां पीडित भीमसिंह व कुंदनसिंह द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, वहीं सरपंच गजेन्द्रसिंह अ.सा.-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में भीमसिंह के द्वारा ही पंचायत भवन में सोलर प्लेट व बैटरी की शिनाख्ती करना बतायी है। इसलिये शिनाख्ती को अ.सा.-4 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। और प्र.पी.-7 के संबंध में नाथू अ.सा.-5 भी अ.सा.-4 का समर्थन अवश्य करता है, किन्तु जो सोलर प्लेट व बैटरी भीमसिंह के कब्जे से पुलिस ने बतायी वही प्र.पी.-7 मुताबिक पहचानी गयी, इसकी प्रमाणिकता भीमसिंह या कुंदनसिंह से संभव थी जोकि नहीं हैं। इसलिये अ.सा.-4 व 5 के साक्ष्य महत्वहीन हैं।

13. आरोपी राजू उर्फ राजकुमार को अनुसंधान के दौरान दि०-01/10/2013 को एसआई. ए.एस.तोमर अ.सा.-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में गिरफ्तार करना बताया है तथा तत्पश्चात धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत लिये गये प्र.पी.-12 के मेमोरेण्डम कथन में बैटरी घर के बाहर मवेशी बांधने वाले गौडा के भूसे में रखने व बरामद कराने की सूचना के आधार पर तैयार करना तथा प्र.पी.-10 मुताबिक उक्त सूचना के आधार पर 12 बोल्ट की बैटरी आरोपी राजू उर्फ राजकुमार के ग्राम जिमलेदार के पुरा के गौडा से जब्त करना बताया है। प्र.पी.-10 व 12 की कार्यवाही का समर्थन प्र.आर भारतसिंह अ.सा.-10 के द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में अवश्य किया है। जिन्होंने इस बात से इंकार किया है कि बैटरी कबाड़े वाले से उठाकर आरोपी से झूठी जब्त दिखायी है।

14. विशेष लोक अभियोजक ने बैटरी व सोलर प्लेट की जब्ती अ.सा.-01 एवं अ.सा.-07 तथा अ.सा.-10 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होने का तर्क करते हुए उसके आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराये जाने का निवेदन किया गया। जबकि बचाव पक्ष का तर्क है कि प्र.पी.-12 मुताबिक जब्ती रमजी उर्फ अशोक नामक व्यक्ति से बतायी गयी है, जिसे न्यायालय द्वारा उन्मोचित किया गया है। और उक्त साक्षी पुलिसकर्मी होकर हितबद्ध है। उन्होंने कार्यवाही संबंधी कोई रोजनामचासान्हा पेश नहीं किया, ना ही मुददेमाल पेश किया इसलिये उनकी साक्ष्य औपचारिक होकर विश्वसनीय नहीं है इसलिये आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें दोषमुक्त किया जावे।
15. अभिलेख के अवलोकन से प्र.पी.-12 की जब्ती रमजी उर्फ अशोक नामक अभियुक्त से बतायी गयी जिसे एवं आरोपी राजेश को आदेश दि०-23/1/14 अनुसार उन्मोचित किया गया है। इसलिये प्र.पी.-12 की प्रमाणिकता अ.सा.-01, 07 व 10 से नहीं मानी जा सकती है, ना ही उसे विचाराधीन आरोपियों के संदर्भ में उपयोग में लिया जा सकता है। आरोपी बंटी उर्फ जयसिंह से प्र.पी.-6 मुताबिक एक सोलर प्लेट जिसपर 36 गोला बने हुए थे, जब्त बतायी गयीं जिसका पंच साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है और राजू उर्फ राजकमार से प्र.पी.-10 मुताबिक 12 बॉल्ट की एक बैटरी की जब्ती करना बतायी गयी है किन्तु वह बैटरी लूटी गयी बैटरी ही थी ऐसा प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। प्र.पी.-6 व 10 के जब्ती पत्रक में कॉलम नंबर 13 की पूर्ति नहीं की गयी है। दोनों के मुताबिक आरोपीगण के घर पर जाकर उनके पेश करने पर जब्ती की गयी, किन्तु अनुसंधान के दौरान पुलिस वास्तव में उनके घर गयी ऐसा आने जाने बाबत रोजनामचासान्हा पेश नहीं किया गया है। यदि थोड़ी देर को प्र.पी.-6 व 10 मुताबिक बतायी गयी वस्तुएं जब्त होना मान भी ली जायें तो इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि वे वस्तुएं वही हैं जोकि बतायी गयी घटना में भीमसिंह व कुंदनसिंह से लूटी गयी। इसलिये प्र.पी.-6 व 10 की बरामदगी अ.सा.-01, 07, 10 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित माने के बावजूद प्रमाणित नहीं होती है।
16. फलतः उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के चरणबद्ध तरीके से किए गये विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाकर धारा-394/34 सहपठित धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
17. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

18. आरोपी बंटी के जेल वारण्ट पर लाल स्याही से टीप लगायी जावे कि आरोपी इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है, अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर रिहा किया जावे ।

19. प्रकरण में जब्तशुदा बैटरी एवं सोलर प्लेट रेलवे विभाग को अपील अवधि पश्चात विधिवत वापिस किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य होगा।

20. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक 22/09/2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड